>

Title: Regarding incident of Gang-rape in South Delhi.

MADAM SPEAKER: Now, we take up 'Zero Hour'. Shrimati Sushma Swaraj.

â€¦(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, आपने पहले माननीय नेता जी को बोलने देने के लिए कहा था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह महिलाओं का विषय है और लीडर ऑफ अपोज़िशन की रिक्वेस्ट थी। इसके बाद आपको बुला देते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते यहां की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के नीचे नहीं है बल्कि सीधे केंद्र सरकार के नीचे है। लेकिन बहुत दुख होता है, जब अखबरों में सुर्खियां छपती हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कर के यह कहा जाता है कि यह शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है। यह टिप्पणी उस समय ज्यादा कष्टदायक हो जाती है, जब यह पता लगता है कि यहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। आए दिन नई-नई वारदातें होती हैं। बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के, महिला मुख्य मंत्री की तरफ से एक बयान आता है कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां अकेले न निकलें। ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, कल रात जो घटना घटी, वह रात्रि 9.30 बजे की है। महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पुरूष मित्र भी था। इसलिए न तो घटना देर रात की है और न लड़की अकेली थी। 23 वर्ष की फ़िज़ियाथैरेपिस्ट महिला द्वारका जाने के लिए 9.30 बजे एक बस में बैठती है। अंदर जो बैठे हैं, उनमें से कोई भी यात्री नहीं हैं। वे एक तरह का नापाक इरादा ले कर बैठे हैं। वे उस महिला के साथ छेड़खानी करते हैं। उसका पुरूष मित्र रिसिस्ट करता है, लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, तो उसके सिर पर रॉड्स मारते हैं, लोहे की छड़ें मारते हैं और उसके बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। गैंगरेप करके उसे बस से नीचे फेंक देते हैं। कल हमारे यहां से कुछ महिलायें, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वहां देखने के लिए गयीं, डाक्टर ने उन्हें मिलने नहीं दिया, लेकिन बाहर उसकी दास्तान सुनायी कि लड़की वेंटिलेटर पर है। उसके इंटेस्टाइंस पूरे डैमेज हो चुके हैं। वह बचेगी या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है। आज सुबह पीठ से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया - जघन्य कृत्य। शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नहीं हो सकता है।

अध्यक्षा जी, यह कोई एक अकेली घटना नहीं है, आए-दिन ये घटनायें हो रही हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रश्नकाल स्थगित करके इस प्रश्न को उठाना चाहा था, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप शून्य प्रहर में इसे उठाने देंगी और स्वयं जब आपने कहा कि यह जघन्य कृत्य है तो हमें लगा कि ज्यादा शांति से इस मसले को उठाया जाना जरूरी है। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इस तरह की घटना की शिकार महिला न जिंदा में रही और न मरे में रही। वह एक जीवित लाश बनकर अपना जीवन जियेगी, अगर बच गयी तो, अभी वह जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं वह बचेगी या नहीं। अगर वह बच गयी तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों का फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए?

कई माननीय सदस्य : होनी चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कहना चाहती हूं कि अभी तो सब लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, केवल दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं? यह सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाएं, जो महिलायें कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, पेट की भूख उनको रात में वहां ले जाती है क्योंकि कॉल सेंटर्स रात में ही चलते हैं। ये मध्यमवर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। मैंने कहा कि कल की वारदात तो देर रात की भी नहीं है। वह अकेली भी नहीं है, इससे ज्यादा वह क्या करे? रात के साढ़े 9 बजे वह एक पुरूष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है।

अध्यक्षा जी, आप स्वयं बताइए कि किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए? कोई शब्द इसकी निंदा करने के लिए नहीं बचता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्रवाई केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बतायें। यह पूरा सदन इसकी पुरजोर भर्त्सना करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें आश्वासन दें। मुझे यही आपसे कहना है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. गिरिजा व्यास।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): I want to speak on this. We want to associate with this issue.

MADAM SPEAKER: Please associate yourself with this. Please send your name.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदया, यह दिल्ली का मसला है, मुझे भी इस पर बोलने का समय दे दीजिए। मुझे केवल दो मिनट का समय दे दीजिए।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I want to associate with this issue.

अध्यक्ष महोदया :

श्री शिवराम गौड़ा,

श्री जोसेफ टोप्पो,

श्री रामकिशुन,

श्री यशवीर सिंह,

श्री नीरज शेखर,

श्री धनंजय सिंह,

श्री रमेन डेका,

श्रीमती सुमित्रा महाजन,

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी,

श्रीमती दर्शना जरदोश,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्री पी.टी.थॉमस,

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग,

श्री शिवकुमार उदासी,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

डॉ. संजय जायसवाल,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्री एम.बी.राजेश,

श्री पी.के.िबजू,

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्रीमती ज्योति धुर्वे,

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और

प्रो. सौगत राय अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास(चित्तौड़गढ़) : महोदया, पहले मैं बोलूंगी। यह महिला का विषय है। दिल्ली से ज्यादा महिला का विषय है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया, उनको बोल लेने दीजिए। यह विषय ऐसा है कि इसमें बीच में डिस्टर्ब न करें तो ठीक रहेगा। आप बोलिये।

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदया, मुझे नहीं पता कि मैं पीड़ा से, दुख से, शर्म से, लज्जा से या क्रोध, किस भावना से आज अपनी बात को इस सदन में रखूंगी। माननीया सुषमा जी ने जो विषय उठाया, वह विषय हर एक के दिल में है। मैं अपने भाई से मॉफी चाहती हूं, लेकिन मैं सोचती हूं कि प्रत्येक महिला आज लज्जा से भी, क्रोध से भी और निश्चित तौर पर हम लोग एक ऐसे भय के वातावरण में हैं, आज उन सबकी तरफ से मैं यहां पर निवेदन करना चाहती हूं। चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मैट्रो सिटीज हों, चाहे दूर-दराज के गांव हों, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, आज जिस तरह महिलाओं के साथ रेप की घटनायें बढ़ती ही चली जा रही हैं और विशेषकर दिल्ली पर तो इसलिए ज्यादा ध्यान जाता है क्योंकि दिल्ली में सारे देश की महिलायें, बच्चियां, यहां पर पढ़ने भी आती हैं, कामकाज के लिए भी आती हैं और यहां पर निश्चित तौर पर अपने भविष्य के लिए भी आती हैं और अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, रोजगार के लिए भी यहां आती हैं। पहले सुनने में आता था और मैं तो इसकी गवाह हूँ, महिला आयोग में रोज़मर्रा का कार्य था कि हर दूसरे-तीसरे दिन इस प्रकार की घटना हो जाती थी। लेकिन कारों में या बस में, बड़ी बस में यह घटना घटती है तो निश्चित तौर पर आज बहुत सारे प्रश्नों पर दिमाग जाता है कि इसका कारण क्या है। महोदया, मैंने स्वयं रात को चैक किया था। अभी का तो मुझे पता नहीं लेकिन आज से दो साल पहले तक इन बसों में एक कांस्टेबल जाया करता था। ट्रेन स्टेशन्स पर भी मैंने सिक्यूरिटी देखी थी, लेकिन कल की घटना के बाद मैंने देखा, इसका पता किया तो मुझे पता चला कि बसों में किसी तरह की कोई सिक्यूरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पैट्रोलिंग के लिए रात को जो कारें चला करती थीं, उनमें कमी हुई है। तीसरी बात यह है कि कुछ प्रोन इलाके हैं जो बस से संबंधित भी हैं और जो उन झुग्गी झोपड़ियों में या दूसरे इलाके हैं जो इसके लिए प्रोन माने गए हैं, वहाँ भी पुलिस की जिस तरह से चौकसी होती थी, वह चौकसी भी गायब है। मैं आज दिल्ली की बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन तीन सालों के देश के आँकड़े हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम लोग जहाँ दूसरे विषयों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन महिला की अस्मिता के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसके लिए मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब एक बार जब *साक्षी वर्सेज़ यूनियन गवर्नमेंट* के संबंध में अपना जजमैंट देने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि कभी कोई औरत मरती है या मारी जाती है तो वह एक बार मरती है, लेकिन जब किसी औरत का रेप होता है, बलात्कार होता है तो वह प्रत्येक पल मरती है। आज इसलिए इस विषय को गंभीरता के साथ लिए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं दुख के साथ निवेदन करना चाहती हूँ, मैंने यह मामला उठाना भी चाहा था और हमने इस पर सैक्सुअल असॉल्ट बिल बनाकर बहुत पहले सरकार को भेजा हुआ है। वह आपकी सूची में भी है। मैं आपके माध्यम से आज संसदीय कार्य मंत्री जी से और विशेषकर अपोज़ीशन की लीडर और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अविलंब उस बिल को सदन में लाकर पास किया जाए। इंडियन पिनल कोड में रेप की जो परिभाषा है, वह भी परिवर्तित होनी ज़रूरी है क्योंकि अब तक केवल एक्चुअल रेप को ही रेप माना जाता है लेकिन *ईव-टीज़िंग* के नाम पर जो घटनाएँ होती हैं, मैं उसको भी इसमें जोड़ना चाहूँगी। एक केस मेरे पास आया था। मैडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की लड़की थी, उस लड़की ने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया और हर पाँच मिनट बाद वह नहाने के लिए गुसलखाने में घुस जाती थी। माँ मेरे पास लाई। मैंने उसकी कुछ काउंसलिंग की और तब निकलकर आया कि गरीब घर की बच्ची है, एक टीचर की बच्ची है, किसी तरह मैडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी और बस में उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता था जिसके साथ छेड़छाड़ न हो। और उसकी मानसिक हालत ऐसी स्थिति में पहुँच गई थी कि वह हर पल सोचती थी कि मैं अशुद्ध हो गई हूँ और मुझे नहाना चाहिए। बहुत मुश्किल से वह बच्ची ठीक हुई। महोदय, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। यह विषय इसका या उसका, इधर का या उधर का, महिलाओं का या पुरुष का, किसी एक स्टेट का या दूसरी स्टेट का, किसी एक वर्ग का या दूसरे वर्ग का नहीं है। यह महिलाओं का सवाल है, औरतों का सवाल है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने इस पर एक कमेटी सभी गवर्नर्स को लेकर बनाई थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ और सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले भी जो कमेटी बनी थी, उनकी भी मीटिंग नहीं हुई, उस संबंध में हम लोग चर्चा करें।

महोदया, इसमें पाँच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला होता है कानून का कड़ा होना। कानून है लेकिन आई.पी.सी. में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें पुलिस का जो एक्ज़ीक्यूशन पार्ट है, उस पार्ट में ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन उस ट्रेनिंग का हश्र क्या हुआ? किसी भी राज्य में अब पुलिस की कोई ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। महोदया, यह राज्य का विषय है। मैं आपके माध्यम से राज्यों से केन्द्र सरकार की तरफ से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कहें कि वे इस पर ट्रेनिंग शुरू करें। तीसरा, एक्ज़ीक्यूशन पार्ट का हाल यह है कि जो रेप के एक्चुअल केसेज़ भी हैं, उनको भी पता नहीं किन धाराओं में वे केस बना देते हैं कि वे जल्दी से छूट जाते हैं। राजस्थान की एक घटना है कि सात साल की एक बच्ची से रेप करने वाला कुछ दिनों के लिए जेल गया। धाराएँ ऐसी छोटी थीं कि छूटकर आया और

छूटने के 15 दिन बाद ही उसने फिर से रेप किया, लेकिन इस बार वह रेप उसने तीन साल की बच्ची के साथ किया और उस बच्ची को उसने मार भी डाला। इसलिए मैं इस बात को नहीं कहती क्योंकि अगर मौत की सज़ा होने लगी तो उन बच्चियों को मारने की घटनाएँ भी होंगी। लेकिन जो सैक्सुअल असॉल्ट बिल है, उसमें इस सबकी बात है। तीसरा होता है अवेयरनैस का प्रोग्राम, ट्रेनिंग का प्रोग्राम और सैल्फ डिफैन्स का प्रोग्राम। यह सैल्फ डिफैन्स का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस भी करती थी, और राज्य भी करते थे, लेकिन सैल्फ डिफैन्स के प्रोग्राम मुझे इन दिनों न किन्हीं राज्यों में और न दिल्ली राज्य में दिखाई देते हैं। उस कार्यक्रम के लिए आप सरकार को निर्देश दें कि प्रत्येक राज्य सरकार से कहें कि इस प्रकार के सैल्फ डिफैन्स के कार्यक्रम भी हों। महिलाएं तो जाएंगी, रात को भी नौकरी करेंगी। नर्सेस भी रात को जाती हैं। आज ही मीडिया कर्मी की एक शिकायत मेरे सामने आई है कि रात को दस बजे वह मीडिया कर्मी बच्ची किसी अपने कार्यक्रम को कर रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। यह छेड़छाड़, ईव टीजिंग को भी सेक्सुअल एसॉल्ट में एक तरह से रेप के समकक्ष ही माना गया है और एक दंड की प्रक्रिया, जब तक दंड बहुत मजबूत नहीं होगा, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं, जिनमें उन्होंने उन्हें मृत्युंड तक का दंड दिया। चाहे कोलकाता का ही मामला हो, जो बहुत दिनों बाद तक निकल करके, बहुत सालों बाद हुआ है, लेकिन प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि उसमें दस-दस, बीस-बीस साल लग जाते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, पांच कदम कर लें। पहली बात यह है कि प्रिवेंशन के लिए सेल्फ डिफेंस हो। उसी के साथ-साथ सुरक्षा कर्मी हर जगह पर हों। सेल्फ डिफेंस के साथ-साथ पहले से वे प्रोन एरियाज़ पर सरकार, प्रशासन एवं विशेषकर पुलिस की निगाह हो। दूसरी बात यह है कि यदि घटना घट जाती है तो तुंत प्रभाव से उनको पकड़ा जाए। उनको सजा के लिए ले जाया जाए। 164 के तहत उस महिला या बच्ची का बयान हो। उसी समय उसका मेडिकल हो, क्योंकि विलम्ब से मेडिकल घटना को आगे बढ़ा देता है और फिर फास्ट ट्रेक कोर्ट हो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बात पर तारीफ करना चाहूंगी।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरे जितना कड़ा कोई नहीं बोला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उन्होंने इस बात को कहा है। मैं चाहती हूं कि आप उन पर दबाव डालें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट न केवल दिल्ली में, बल्कि प्रत्येक राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकता है। ...(व्यवधान) जब राजस्थान डेढ़ महीने में इस पर फैसला सुना सकता है।...(व्यवधान) दस-दस साल तक रेप की बच्चियां कहां जाएं? तीसरी और आखिरी बात यह है कि रेप विक्टिम के संबंध में...(व्यवधान) शांत रहिए, मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूं। आप महिला के दर्द को सुनिए।

अध्यक्ष महोदया, डेढ़ महीने में इसका फैसला एक राजस्थान की कोर्ट ने सुनाया था। कोर्ट चाहे तो इस पर फैसला कर सकती है। प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था - You can and that is why you should. सरकार और प्रशासन भी कर सकता है। इसलिए उन्हें करना चाहिए। चौथी बात यह है कि इसमें सिविल सोसायटी की भूमिका है। हम केवल यहां बैठ कर चर्चा न करें। अपने इलाकों में इसकी निगरानी में भी हमारी भागीदारी हो और मीडिया की भूमिका, जिसमें मैं मीडिया की तारीफ करना चाहूंगी कि उनके द्वारा कम से कम इन बातों का पता हमें चलता है। ये सब बातें होने के लिए आज आपका इंटरवेंशन बहुत आवश्यक हो गया है। मैं फिर कहूंगी, फिर दोहराऊंगी कि बहुत शर्म और लज्जा के साथ मैं एक औरत के दर्द को यहां पर, इस सदन में रख रही हूं। यह दर्द और पीड़ा कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह दर्द और पीड़ा केवल महिला होने के नाते नहीं है, यह दर्द और पीड़ा एक मानवीयता के नाते है। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम भी इंसान हैं और इंसान के साथ जीना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया :

श्री पन्ना लाल पुनिया और

श्री एस.एस. रामासुब्बू अपने आपको डॉ. गिरिजा व्यास के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

कल जो घटना हुई है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पूरे देश और समाज के लिए शर्म से सिर झुका लेने वाली घटना है कि हम अपने समाज को किस और ले जा रहे हैं, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता।

मैं सरकार के पक्ष से यह निवेदन करना चाहती हूं, पूरे सदन की यह भावना है कि इस पर तुंत सख्त कदम उठाए जाएं। कोई विलम्ब न हो, कोई ऐसा संदेश न जाए कि इसमें विलम्ब हो रहा है।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, मैं आपकी भावनाओं से और सदन की भावनाओं से अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सख्त से सख्त से कदम उठाए जाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं होगी। ये जो घटना हुई है, इस घटना से केवल ये सदन ही चिन्तित नहीं है, आज देश का हर सिटिजन बहुत चिन्तित है।